राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल,जयपुर
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2026/5142 दिनांकः- 06/10/26

परिपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा लोक उपापन में पारदर्शिता, दक्षता और कार्य की सुगमता को बढ़ावा देने की दृष्टि से **सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (SHPP)** विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2026 से अनिवार्य (Mandatory) रूप से सभी प्रकार के उपापन **सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (SHPP)** के माध्यम से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में संचालित E-Proc. पोर्टल दिनांक 30.09.2026 तक प्रकाशित (Publish) निविदाओं से संबंधित सम्पूर्ण प्रकिया को पूर्ण करने के लिए दिनांक 31.03.2027 तक ही उपलब्ध रहेगा।

अतः निगम के सभी विभागों/उपापन संस्थाओं को दिनांक 01.10.2026 से सभी प्रकार के उपापन **सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (SHPP)** के माध्यम से ही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

I.T. 1445
8/10/26

Ashok T
8/10

(ललित वर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2026/5142 दिनांकः- 06/10/26

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.......................................।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
9. रक्षित पत्रावली।

(रमन कुमार)
महाप्रबन्धक (वित्त)